पूरी बेंच

मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह , न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और न्यायमूर्ति डी. क महाजन के समक्ष

जय सिंह राठी और अन्य,—*याचिकाकर्ता.*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट नं. 1969 का 463

28 अप्रैल, 1969.

भारत का संविधान (1950)- *सामग्री* 189, 194, 208, 212(2), 226 *और* 227—नियम *हरियाणा में व्यवसाय की प्रक्रिया और संचालन के बारे मेंविधायीसभा—नियम* 104- *यह नियम स्पीकर को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता हैएहमेशा एक सदस्य*आर *ऐसे नियम बनाकर सदन की अवमानना- हरियाणालेगिसमूल सभा- निलंबन की शक्ति हमेशा के लिए खो देती हैएक मेम काबेर—विधान सभा के किसी सदस्य का निलंबन—चाहे कारणसदन में रिक्ति—निलंबित सदस्य—क्या अधिकार खो देता हैकामतदान विधानसभा में बोलने की स्वतंत्रता—चाहे अप्रतिबंधित हो—विधानमंडल के किसी सदन में मतदान करें—चाहे कभी भी हो सकता है* दुर्भावनापूर्ण- *लेख* 212 और 227- *विधायीसभा- चाहे "न्यायालय" हो या "न्यायाधिकरण"- ऐसी सभा के अध्यक्ष और सचिव- चाहे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त हों। लेख* 226- *याचिका के समर्थन में शपथ पत्र स्पष्ट नहीं है—उच्च न्यायालय- क्या याचिका की गुणवत्ता की जांच करने से इंकार कर देना चाहिए.*

आयोजित, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (3) द्वारा दी गई और गारंटीकृत राज्य विधानमंडल की शक्तियां और विशेषाधिकार संविधान के लागू होने की तिथि पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समान होंगे। 1950. अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) के विपरीत, उप-अनुच्छेद (3) संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं है। इस प्रकार दी गई शक्तियाँ और विशेषाधिकार पूर्ण हैं और व्यापारी अनुच्छेद 208(1) द्वारा बनाए गए किसी भी नियम द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। विधानमंडल में आचरण क लिए अपने सदस्यों को दंडित करने का सदन का अधिकार है। ऐसा विशेषाधिकार, इससे संबंधित नियम के बावजूद, अपने अस्तित्व के लिए उस पर निर्भर नहीं है। विधान सभा किसी सदस्य को उसके अव्यवस्थित आचरण या अध्यक्ष की अवज्ञा के कारण उसकी अवमानना के लिए दंड के रूप में निलंबित करने की अपनी शक्ति नहीं खोती है, एक नियम बनाकर जिसके द्वारा उस प्रभाव की शक्तियां अध्यक्ष को दी गई हैं। उनका हित हरियाणा विधान सभा की शक्ति में निहित है जो अपने सदस्यों को उनके अव्यवस्थित आचरण या अवज्ञा और अध्यक्ष की अवज्ञा के कारण अपनी अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपने स्वयं के कामकाज के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 104 बनाकर, अपने अध्यक्ष को ऐसी शक्ति प्रदान करके, हरियाणा विधान सभा अपने किसी सदस्य को उसकी अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्ति और विशेषाधिकार को हमेशा के लिए नहीं खो देती है। एक बार जब वह नियम को निलंबित कर देता है, तो वह उस शक्ति को अपने पास रख लेता हैजैसायह इस ओर से अंतर्निहित है। (पा > रा17)

आयोजित, संविधान के अनुच्छेद 189 का उप-अनुच्छेद (1) किसी राज्य की विधायिका के सदन के समक्ष प्रश्नों के निर्धारण में एक सदस्य को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन अपनी शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी सदस्य को सदन से निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 194(3) के तहत सदन में कोई रिक्ति नहीं होती है, जिस अर्थ में इसका उपयोग अनुच्छेद 189 के शेष उप-अनुच्छेदों और अनुच्छेद 190 में किया जाता है। निलंबन से विधानमंडल के सदन में कोई रिक्ति नहीं होती है, और इसने केवल सदन की अवमानना के लिए सजा के उपाय के रूप में सदन की सेवा से अनुपस्थिति को लागू किया, उदाहरण के

लिए, किसी सदस्य की अवज्ञा और अध्यक्ष की अवज्ञा के कारण और अव्यवस्थित आचरण के लिए। जब ऐसी अनुपस्थिति को सदन द्वारा अनुच्छेद 194(3) के तहत अपनी शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है, तो उस सदस्य से वोट का अधिकार नहीं छीना जाता है, बल्कि उसे केवल उसी स्थिति में रखा जाता है जैसे कि वह उपस्थित नहीं था। घर। सदन में एक सदस्य को वोट देने के अधिकार की गारंटी दी गई है। (पैरा 17)

आयोजित, संविधान के अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित सदन में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार न केवल संविधान के प्रावधानों के अधीन है, बल्कि विधानमंडल के सदन क व्यावसायिक नियमों के भी अधीन है। अतः अनुच्छेद 194 के उपअनुच्छेद (1) में दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अप्रतिबंधित एवं अनियंत्रित नहीं है। (पैरा 17)

आयोजित, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि विधानमंडल के सदन में मतदान होगा*दुर्भावनापूर्ण.* यदि सदन अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार करता है, तो उसकी कार्रवाई पर असंवैधानिकता के आधार पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे इस रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।*दुर्भावनापूर्ण.* (19 के लिए)

आयोजित, भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण देता है, लेकिन एक विधान सभा न तो एक न्यायालय है और न ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एक न्यायाधिकरण है जिस पर उसके अनुसार अधीक्षण का अधिकार क्षेत्र है। लेख। सदन में प्रक्रिया या कामकाज के संचालन को विनियमित करने या व्यवस्था बनाए रखने की अध्यक्ष की शक्ति अनुच्छेद 212 के खंड (2) के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। समान या समान छूट भी उपलब्ध है राज्य विधानमंडल के अन्य अधिकारी, जैसे उसका सचिव। ('पैरा 13)

आयोजित, यदि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदन के समर्थन में हलफनामा स्पष्ट नहीं है और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से नहीं बताता है बल्कि उन्हें इस तरह से बताता है कि अदालत को गुमराह किया जा सके। तथ्यों के आधार पर, अदालत को अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, गुणों की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना चाहिए। यह अदालत में निहित एक शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जो अदालत के मन में यह विश्वास दिलाते हैं कि उसे धोखा दिया गया है। (पैरा 20)

अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिका 226 *और* 227 *भारत के संविधान में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट, या कोई अन्य उपयुक्त रिट,*आदेश या *निर्देश जारी किया जाए*को रद्द करना*proceedings of the Haryana Vidhan*

फरवरी की सभा 5, 1969, *याचिकाकर्ताओं के निलंबन के संबंध में और* 5 *फरवरी को याचिकाकर्ताओं के निलंबन की घोषणा करने के संबंध में* 1969, *शेष सत्र की अवधि अमान्य और असंवैधानिक होने के कारण,*हरियाणा विधान की आगामी कार्यवाही *सभा* पे ले लिया *छठा, सातवां,*10वीं और 11वीं *और* 12 *फरवरी भी उतने ही अमान्य और असंवैधानिक हैं।*

एम. सी. सीबन्दूक, एसअंदरएवकील, एनन्दएसवारुप. एसअंदरएवकील, आर. एस. एमइत्तल, यू.एस.एसअहनि, और एस.एस.केव्यापार, एवकील, याचिकाकर्ताओं के लिए।

एम. के. एनअंबयार, एसअंदरएवकील, सी. डी. डीनहीं जानतीं, एवकील- जीसामान्य, एचअरियाना, एन. ए. एसUBRAMANYAM, पी. एस. डीलॉबी, एवकील, उनके साथ उत्तरदाताओं के लिए, 1, 2, 5 और 6 और उत्तरदाताओं 3 और 4 के लिए निमो।

प्रलय

मुख्य न्यायमूर्ति मेहर सिंह —यह संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत चार याचिकाकर्ताओं, अर्थात् श्री जय सिंह राठी, श्री महंत गंगा सागर, श्री गणपत राम, और श्री फतेह चंद विज, याचिकाकर्ता 1 से 4, द्वारा एक याचिका है। हरियाणा विधान सभा के सभी सदस्यों को 5 फरवरी, 1969 की हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश के लिए, जिसके दौरान याचिकाकर्ताओं को विधान सभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। और 12 फरवरी, 1969 को

वर्ष 1969-70 के लिए विनियोग विधेयक को पारित करने वाली विधान सभा की सभी बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए। याचिका के प्रतिवादी हरियाणा राज्य, श्री बंसी लाल, मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के, श्री रण सिंह, श्रीमान, हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा के सचिव, और श्रीमती चंद्रा वती और श्री बनारसी दास गुप्ता, हरियाणा विधान सभा के सदस्य, उत्तरदाता 1 से 6।

2. 14 मई, 1968 को हरियाणा विधानसभा के लिए हरियाणा राज्य में मध्यावधि चुनाव हुआ। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 81 है। कांग्रेस पार्टी ने 48 सीटें हासिल कीं, अन्य विभिन्न दलों ने कुल मिलाकर 27 सीटें हासिल कीं और कुल 6 सीटें थीं। निर्दलीय. कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य को श्रीमान अध्यक्ष चुना गया, प्रतिवादी 3, और इस प्रकार सदन में पार्टियों की ताकत 47 कांग्रेस थी, जबकि 6 निर्दलीय सहित 33 अन्य थे। अतः कांग्रेस पार्टी के पास सदन में स्पष्ट बहुमत था। प्रतिवादी 2 कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने। इसलिए, उन्होंने सरकार बनाई।
3. में; याचिकाकर्ताओं की याचिका पैराग्राफ? 2 से 20 आंतरिक तनाव के डी दे .इन, की कार्यप्रणाली। कांग्रेस पार्टी. प्रतिवादी 2 के संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने बदले में एनआईएस हलफनामे में इसका खंडन किया है। हालाँकि, इस याचिका की सुनवाई में इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि उन पैराग्राफों में जो कहा गया है वह कांग्रेस पार्टी के आंतरिक राजनीतिक संगठन और कार्यप्रणाली से संबंधित है और इसका इस याचिका में उठाए गए विवाद के गुण-दोष से कोई लेना-देना नहीं है। याचिकाकर्ताओं पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। की विषय-वस्तुवे पैराग्राफ पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और याचिकाकर्ताओं को इस याचिका में ऐसे राजनीतिक मामले लाने की गलत सलाह दी गई, जिनसे इस न्यायालय का संभवतः कोई सरोकार नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के संदर्भ में इस न्यायालय के मंच का उपयोग राजनीतिक मामलों को सामने लाने के लिए करने का यह तरीका, न कि ऐसे मामले न्यायालय के समक्ष विवाद के लिए प्रासंगिक हैं, बल्कि केवल विपरीत पक्ष को शर्मिंदा करने के लिए, स्पष्ट संकेत है याचिकाकर्ताओं और उनके सलाहकारों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के बारे में। जहां तक इन कार्यवाहियों का सवाल है, यह निंदा योग्य है और आशा है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्रतिवादी 2 ने अपने हलफनामे में बिल्कुल सही शिकायत की है कि उन पैराग्राफों में आरोप कांग्रेस विधायक दल से संबंधित आंतरिक मामलों से संबंधित हैं, जिसके याचिकाकर्ता सदस्य नहीं हैं और जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है। यह पुष्टि की गई है कि उन आरोपों का याचिका में मांगी गई राहत पर दूर-दूर तक कोई असर नहीं है, जो केवल प्रतिवादी 2 को शर्मिंदा करने और इस अदालत के समक्ष पार्टी के उनके नेतृत्व के सवाल को विवाद में खींचने के लिए लगाए गए हैं। यह प्रतिवादी 2 की ओर से एक उचित शिकायत है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के आचरण और उन लोगों के आचरण को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए जिन्होंने याचिकाकर्ताओं को इस प्रकार के पाठ्यक्रम की सलाह दी है और, जैसा कि मैंने कहा है, इस प्रकार की पुनरावृत्ति है भविष्य में ऐसी कार्यवाही में या यूँ कहें कि इस न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसका राजनीतिक मामलों से कोई लेना-देना नहीं है।
2. ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी से दलबदल हुआ था और कुछ सदस्य भी इसमें लौट आए थे, जिसके संबंध में हरियाणा के राज्यपाल से संपर्क किय गया प्रतीत होता है ताकि यह दावा किया जा सके कि प्रतिवादी 2 के पास अब हरियाणा विधान सभा में बहुमत नहीं है। , लेकिन उस हिस्से से भी इस न्यायालय का कोई लेना-देना नहीं है। यह सब एक राजनीतिक साज़िश थी जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक वफादारी में बदलाव आया होगा।लेकिन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस प्रकार का मामला न्यायालय की चिंता का विषय नहीं है और इसे उसके समक्ष प्रसारित या उत्तेजित नहीं किया जा सकता है।
2. हरियाणा विधान सभा को राज्यपाल द्वारा बैठक के लिए बुलाया गया, उसने 28 जनवरी, 1969 को बैठक की। परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य की सीट रिक्त हो गई थी; इस चुनाव के विरुद्ध एक चुनाव याचिका को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने की। ; जबकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 28 जनवरी, 1969 को कांग्रेस पार्टी की ताकत 39 थी, नवगठित संयुक्त विधायक दल की 36 और निर्दलीय 6 थे, इस प्रकार दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक पार्टी बन गई थी। इसके विपरीत, सदन ने अपने हलफनामे में प्रतिवादी 2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 28 जनवरी, 1969 से पहले हरियाणा के राजनीतिक कैनवास पर जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद उन्हें अभी भी 41 कांग्रेस विधायकों और 2 स्वतंत्र विधायकों का समर्थन प्राप्त था, इसलिए अध्यक्ष महोदय और एक सदस्य को छोड़कर,

जिनकी सीट उनके खिलाफ चुनाव याचिका की सफलता के कारण रिक्त हो गई थी, 79 के सदन में उनके पास 43 सदस्य थे। '

3. 28 जनवरी, 1969 को शुरू होने वाले हरियाणा विधान सभा सत्र का कार्यक्रम, कार्यक्रम परिशिष्ट 'ए' की प्रति, 12 फरवरी, 1969 तक चलना था। हालाँकि, इस कार्यक्रम में वर्ष के बजट पर विचार के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1969-70, हरियाणा के राज्यपाल ने दोपहर 2 बजे विधान सभा को संबोधित किया। 28 जनवरी, 1969 को और 1 और 2 फरवरी, 1969 के दो अवकाश दिनों को छोड़कर, 29 जनवरी से 4 फरवरी, 1969 तक अन्य चार दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए थे। उन दिनों के आखिरी दिन, विपक्ष के एक सदस्य द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया था कि एक अन्य विपक्षी सदस्य, श्री जोगिंदर सिंह क□ अपहरण कर लिया गया था और इस प्रकार उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से शारीरिक रूप से रोका जा रहा था। विशेषाधिकार प्रस्ताव के बाद जो हुआ उसका वर्णन याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के पैराग्राफ 22 में इन कुछ पंक्तियों में किया है- "सदन में हंगामा हो रहा थ□, जिसके दौरान अध्यक्ष ने याचिकाकर्ताओं का नाम लिया और उन्हें सदन छोड़ने के लिए कहा। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें बाहर जाने के लिए कहने से पहले सदन के बाहर उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसके बाद स्पीकर ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आग□ कार्रवाई नहीं की और मुख्यमंत्री से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने को कहा. इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव दिया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया और सदन ने समर्थन दियादिन।" बयान, जैसा कि प्रतिवादी 2 के हलफनामे में इस पैराग्राफ के उत्तर से प्रतीत होगा, उस दिन सदन में जो कुछ हुआ उसके तथ्यों के अतिसरलीकरण की सीमा है और, वास्तव में, वास्तव में उनके सीडब्ल्यूएन के जानबूझकर दमन के बराबर है। उस दिन सदन में याचिकाकर्ताओं द्वारा आचरण.. याचिका पर वापसी के माध्यम से प्रतिवादी 2 के हलफनामे में, पैराग्राफ 22 में, उस दिन सदन में क्या हुआ, इसका एक निष्पक्ष और सटीक सारांश दिया गया है। सदन की कार्यवाही की कॉपी पेश की गई है. इस याचिका की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी यह नहीं कह सका कि प्रतिवादी 2 के हलफनामे के पैराग्राफ 22 में जो पुष्टि की गई है वह किसी भी तरह से उस विशेष दिन सदन में क्या हुआ उसका सटीक सारांश नहीं है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बार-बार अपना निर्णय दिये जाने के बावजूद कि उनके पास विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस है और वे इस पर शीघ्र विचार करेंगे, विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा करते रहे और इस प्रकार कार्यवाही जारी रखने में बाधा उत्पन्न की। और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा संपन्न. मामले के इस पहलू पर उस दिन सदन में जो कुछ हुआ उसके सारांश का एक अच्छा हिस्सा छोड़ा जा सकता है, लेकिन जहां तक इस याचिका का संबंध है और जहां तक है। याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह सारांश का प्रासंगिक हिस्सा है जो इस मामले में उनके आचरण का निष्पक्ष और सटीक विवरण देता है- "जब Ch. जय सिंह राठी, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, अध्यक्ष ने कहा, 'ठीक है, अगर मुझे लगता है कि व्यवस्था का कोई गलत प्रश्न उठाया गया है या बहस में या राज्यपाल के मुद्दे पर चर्चा में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है। पता, मैं संबंधित सदस्य का नाम बताऊंगा। इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूं।' जय सिंह राठी ने फिर से औचित्य का प्रश्न उठाया जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 3, विधान सभा सदस्य, श्री गणपत राय ने औचित्य का प्रश्न उठाया। वह एक उदाहरण देना चाहते थे कि ट्रेजरी बेंच पर बैठे सदस्य 'पतले-पतले' विधायकों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि यह बिल्कुल भी औचित्य का प्रश्न नहीं है और आगे कहा, 'नहीं, कृपया अभी नहीं। आइए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा फिर से शुरू करें। श्री गणपत राय, एमएल.ए., इस औचित्य के प्रश्न पर कायम रहे और अध्यक्ष ने फिर से फैसला सुनाया कि यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष ने कहा, 'माननीय सदस्य को कृपया अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए।' सैन ने कहा. मैं नामित होने के लिए तैयार हूं।' अध्यक्ष ने कहा, 'ठीक है,

चूंकि वह सभापति की अवमानना कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया है।' सदस्यों ने फिर सवाल उठाया कि अध्यक्ष सदन के संरक्षक हैं और उन्हें उन्हें आवश्यक सुरक्षा देनी होगी। अध्यक्ष ने कहा, 'माननीय सदस्य को कृपया अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। इस सदन की प्रक्रिया के नियमों में एक प्रक्रिया निर्धारित है और उसका पालन किया जाना चाहिए।' इसके बाद डॉ. मंगई सेन ने एक और औचित्य का प्रश्न उठाने की कोशिश की और अध्यक्ष ने कहा, क्षमा करें, मैं आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य औचित्य के प्रश्न पर खड़े हो सकते हैं।' अध्यक्ष ने आगे कहा, 'यदि माननीय सदस्य अपनी सीट पर नहीं

लौटते हैं, तो उन्हें नामित किया जाएगा।' अध्यक्ष ने आगे कहा, 'कृपया एक व्यक्ति को बोलना चाहिए। एयू एक बार में बोल नहीं सकता।" इस पर चौ. जय सिंह राठी खड़े हुए तो स्पीकर ने उन्हें बैठने को कहा. श्री जय सिंह राठी बोलने पर अड़े रहे और अध्यक्ष ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। अध्यक्ष ने कहा, मैं माननीय सदस्य श्री जय सिंह राठी से अपनी सीट पर बैठने के लिए कह रहा हूं और यह आखिरी बार है जब मैं उनसे अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध कर रहा हूं। अध्यक्ष ने अपना अनुरोध दोहराया, लेकिन सदस्य ने अपनी सीट नहीं ली। इस पर अध्यक्ष ने श्री जय सिंह राठी का नाम लिया लेकिन चौ. जय सिंह राठी दोबारा अपनी सीट पर नहीं पहुंचे. सदन में हंगामा होने लगा और अध्यक्ष ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, 'यदि माननीय सदस्य अपनी सीट नह□□ लेते हैं, तो उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा।' श्री जय सिंह राठी खड़े रहे और इसके बाद अध्यक्ष ने कहा, 'माननीय सदस्य, चौ. जय सिंह राठी, क्या आप सदन से हट जाएंगे- चौ. जय सिंह राठी ने आसन की अवज्ञा की जब अध्यक्ष ने उन्हें तीन बार हटने का आदेश दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अवलोकन किया। 'माननीय सदस्य के बाद से, चौ. जय सिंह राठी ने लगातार आसन की अवहेलना की है और वह सदन से नहीं हट रहे हैं, मार्शल को कृपया जाकर मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए।' जय सिंह राठी. विपक्ष के नेता राव बिरिंदर सिंह ने कहा, 'स्पीकर साहब, ये सभी विधानसभा में रहेंगे. इस स्तर पर श्री फतेह चंद विज याचिकाकर्ता नंबर 4 श्री जय सिंह राठी की सीट की ओर बढ़े और उनके बगल में खड़े हो गए और इस तरह मार्शल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डाली। अध्यक्ष ने फिर श्री जय सिंह राठी से कहा कि कृपया सदन से बाहर चले जायें। श्री जय सिंह राठी ने उत्तर दिया, 'नहीं, कृपया।' अध्यक्ष ने आगे कहा, 'जो माननीय सदस्य मार्शल द्वारा कर्तव्यों के पालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यदि वे अपनी सीटों पर वापस नहीं जाते हैं तो उन्हें नाम देना होगा। 'इस समय कुछ सदस्यों ने श्री जय सिंह राठी को दोनों तरफ से ढक दिया, जो अपनी सीट पर खड़े रहे और इस प्रकार इन सभी सदस्यों ने ऐसा करने से रोकामाननीय अध्यक्ष के आदेशों का पालन करने हेतु मार्शल। अध्यक्ष ने कहा, 'चूंकि माननीय सदस्य आसन की अवज्ञा कर रहे हैं और मार्शल को अपने कर्तव्यो□ का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी सीटों पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे उनका नाम लेना होगा।' सदस्य श्री जय सिंह राठी के दोनों ओर खड़े रहे और वहां से नहीं हटे। इस पर स्पीकर ने कहा, 'श्रीमान. विज का भी नाम है. महंत गंगा सागर (याचिकाकर्ता क्रमांक 2) क□ नाम श्री गणपत राय (याचिकाकर्ता क्रमांक 3) का भी नाम है। कृपया उन्हें सदन छोड़ देना चाहिए. नामित सभी चार सदस्यों को कृपया सदन से हट जाना चाहिए।' इस पर सदन में शोर मच गया. कुछ देर बाद अध्यक्ष ने कहा, "कृपया आदेश दें; मुझे एक अवलोकन करने दीजिए, मुझे लगता है कि कई सदस्यों द्वारा बिल्कुल अनुचित हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो सदन की उचित मर्यादा और उचित कामकाज के लिए बेहद खराब और अपमानजनक है। मैं सदन को स्थगित करता हूं।" 15 मिनट के लिए सदन और फिर हम देखेंगे।' सदन फिर स्थगित हो गया। जब शाम 4.45 बजे सदन फिर से इकट्ठा हुआ, तो अध्यक्ष द्वारा नामित सभी याचिकाकर्ता अभी भी सदन में थे और अध्यक्ष ने कहा, 'मुझे लगता है कि मि-। राठी अभी भी यहां अपनी सीट पर हैं। मैंने उनसे हटने का अनुरोध किया था। यह दीवार एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है जब किसी सदस्य द्वारा सदन की गरिमा और मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है। मैं उनसे फिर से सदन से हटने का अनुरोध करूंगा। ' सदन में हंगामा मच गया। अध्यक्ष ने उन सभी याचिकाकर्ताओं को सदन से बाहर जाने के लिए कहा, जिनका नाम उन्होंने पहले रखा था और कहा, 'मैं सदन की मर्यादा और गरिमा को छूने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं केवल आपको ही अध्यक्षता करूंगा।' चार सदस्यों के सदन से चले जाने के बाद।' लेकिन शोर और व्यवधान जारी रहा। विपक्षी सदस्य लगातार व्यवधान और शोर-शराबा कर रहे थे। अध्यक्ष ने कहा, 'हम किसी भी परिस्थिति में सदन की मर्यादा और गरिमा को कम नहीं कर सकते। यह शर्म की बात है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह शर्म की बात है कि जिन चार सदस्यों का नाम लिया गया है वे अभी भी सदन में हैं। यह शर्मनाक है. यह बहुत बुरा है, बहुत घटिया है.' जब इन रुकावटों और शोर-शराबे पर कोई रोक नहीं लगी तो अध्यक्ष ने फिर कहा, 'माव, मैं श्री सीबंद राम से बैठने के लिए कहता हूं। चूंकि मुझे लगता है कि सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है, इसलिए मैं सदन के नेता से बहस का जवाब देने का अनुरोध करूंगा।" इस पर विपक्ष के सदस्य मलिक मुख्तियार सिंह ने कहा, 'नहीं, निश्चित रूप से नहीं। वह इस स्तर पर कोई भाषण नहीं दे सकते।" इसके बाद, सदन के नेता ने बहस को बंद करने का अनुरोध किया और अध्यक्ष ने सवाल उठाया और समापन प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पेश किया गयाविपक्ष (श्री रूप लाल मेहता) द्वारा, लेकिन यह हार गया। धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और इसे ध्वनि मत से पारित किया गया। यह सब शोर-शराबे और व्यवधान के दौरान हुआ और विपक्ष ने 'जोगिंदर सिंह को पेश करो' के नारे लगाए। 'धाके शाही नहीं चलेगी' और इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 फरवरी, 1969 के लिए स्थगित कर दी। सदन के बाहर अपनी सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं की मांग, हालांकि, तुच्छ थी। यदि एक बात स्पष्ट है तो वह यह है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद कि प्रतिवादी 2 को अपना बहुमत खोने का खतरा है, मामले की सच्चाई यह है कि राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया है। ट्रेजरी बेंच द्वारा केवल ध्वनि मत से अभिभाषण पारित किया गया, विपक्ष ने इस संबंध में मतविभाजन का दावा भी नहीं किया। जाहिर तौर पर वे उस दिन सरकार के पास मौजूद बहुमत को गिराने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिवादी 2 के हलफनामे

के पैराग्राफ 22 में दिए गए सदन की कार्यवाही के सारांश से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं का आचरण शायद ही उन्हें श्रेय देता है। उन्होंने लगातार और लगातार सभापति की अवहेलना और अवज्ञा की।

2. 5 फरवरी, 1969 को जब सदन की बैठक हुई, तो उसके समक्ष प्रतिवादी 5 द्वार हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 104 को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। प्रतिवादी 5 द्वारा एक हलफनामा दिया गया है कि उस संबंध में प्रस्ताव उस तिथि को दोपहर 12 बजे अध्यक्ष महोदय को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। प्रस्ताव इस रूप में था- "यह प्रस्ताव करने के लिए कि सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 104 को श्री के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव के आवेदन में निलंबित किया जाए। जय सिंह राठी (याचिकाकर्ता 1) और तीन अन्य। प्रतिवादी 6 का हलफनामा है कि उसी दिन दोपहर लगभग 12 बजे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के शेष सत्र के लिए याचिकाकर्ताओं के निलंबन के लिए एक प्रस्ताव श्रीमान अध्यक्ष को दिया था और उस प्रस्ताव में लिखा था- "वह कल, 4 फरवरी, 1969 को सदन के चार सदस्य, सर्वश्री जय सिंह राठी, महंत गंगा सागर, फतेह चंद और गणपत राय, जिनका नाम माननीय अध्यक्ष ने रखा था, सदन से नहीं हटे और उनके आदेशों की अवहेलना करते रहे। . उन्होंने सदन की घोर अवमानना और विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। यह सदन उन्हें शेष सत्र के लिए निलंबित कर देता है और उपरोक्त सदस्यों को वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए इस सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने का निर्देश देता है, " इस प्रकार ये दो प्रस्ताव उत्तरदाताओं 5 और 6 द्वारा श्री अध्यक्ष को सौंपे गए थे। दोपहर के बारे में ओह

5 फ़रवरी 1969, दिन भर की कार्यवाही के लिए सदन की बैठक शुरू होने से पहले। दोनों प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के पास थे। . ..

2. जब उस दिन सदन की कार्यवाही चली, तो प्रतिवादी पी5 ने नियम 104 के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया - इसे सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा अवैध रूप से स्वीकार कर लिया गया और सरकारी बहुमत के बल पर पारित कर दिया गया। रिटर्न के अनुसारप्रतिवादी 2 का हलफनामा, यहप्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और याचिकाकर्ताओं सहित इसके पक्ष में 42 और विपक्ष में 33 वोट पड़े। याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि सदन के समक्ष उस प्रस्ताव को पेश करने में किसी अवैधता या अनियमितता के संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से या विपक्ष के किसी अन्य सदस्य द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई थी। इसके बाद प्रतिवादी 6 ने शेष सत्र के लिए याचिकाकर्ताओं को सदन की सेवा से निलंबित करने के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया। याचिका में स्वीकार किया गया है कि यह प्रस्ताव भी 'सरकार समर्थकों के बहुमत के साथ सदन द्वारा पारित किया गया था, लेकिन प्रतिवादी 2 के रिटर्न हलफनामे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रस्ताव भी बहुमत से पारित किया गया था, 41 वोटिंग के लिए , और 32 (याचिकाकर्ताओं सहित) प्रस्ताव के विरुद्ध। याचिकाकर्ताओं का मामला यह रहा है कि नियम 104 के निलंबन का प्रस्ताव नियम 121 के विपरीत होने के कारण अवैध था क्योंकि जब यह पेश किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं के निलंबन के लिए सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं था। इस पर प्रतिवादी 2 के रिटर्न हलफनामे में दिया गया उत्तर यह है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कथन सत्य नहीं है, उत्तरदाताओं 5 और 6 ने दोनों प्रस्तावों के बारे में पहले ही नोटिस दे दिया है और उसे सदन के समक्ष श्री अध्यक्ष को सौंप दिया है। मिले, इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के संबंध में नियम 104 के प्रतिवादी 5 लोर निलंबन के प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नियम का निलंबन 'श्री जय सिंह राठी के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव के लागू होने में' होना था। (याचिकाकर्ता 1) और तीन अन्य, इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि याचिकाकर्ताओं को सदन की सेवा से निलंबित करने के लिए प्रतिवादी 6 का अन्य प्रस्ताव पहले से ही अध्यक्ष महोदय के पास था और उसे तुरंत सदन के समक्ष औपचारिक रूप से पेश किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने फिर से यह विवरण नहीं दिया कि सदन में क्या हुआ जब प्रतिवादी 5 ने नियम 104 के निलंबन के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया। *के ज़रिए* याचिकाकर्ता, लेकिन अपने रिटर्न हलफनामे के पैराग्राफ 23 में प्रतिवादी 2 फिर से प्रतिवादी 5 द्वारा अपने प्रस्ताव के प्रस्ताव पर सदन में कार्यवाही के संबंध में, इसकी शुद्धता के बारे में निर्विवाद रूप से एक निष्पक्ष और सटीक सारांश देता है। सारांश यहां प्रासंगिक है— 11 जब नियम 194 को निलंबित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई और एक मुद्दा उठाया गया कि कोई चर्चा नहीं हुई

इस तरह के प्रस्ताव पर अनुमति दी जा सकती है, अध्यक्ष ने फैसला सुनाया, - 'मैं सहमत हूं कि आम तौर पर ऐसे प्रस्ताव पर कोई भाषण नहीं दिया जाता है। *लेकिन, चूंकि माननीय सदस्य ने कुछ कहने की अनुमति मांगी है, इसलिए मैं उन्हें बोलने की अनुमति देता हूं।' इस पर विपक्ष के नेता राव बीरिंदर सिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, 'मैं एक उचित बिंदु पर खड़ा हूं। महोदय, इस प्रस्ताव की विषय-वस्तु आपके सामने पहले से ही है। ट्रेजरी बेंच के एक प्रस्ताव पर मामला सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। कमेटी इस मामले पर सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट देगी. अब इसकी जरूरत ही कहां हैदे रही हैयह प्रस्ताव...___उस पर स्पीकरस्पीकर ने फैसला सुनाया, 'मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव पढ़ूंगा।' यह कहता है, 'कल, 4 फरवरी, 1969,' हरियाणा की बैठक के दौरान विधानसभा, सर्वश्री जय सिंह राठी, एम.एल.ए., फतेह चंद विज, एम.एल.ए., गणपत राय, एम.एल.ए. महंत गंगा सागर, एम.एल.ए., डॉ. मंगल सैन, एम.एल.ए., राव बीरिंदर सिंह और चपड़ राम विधायकों ने सदन में नारे लगाए और अव्यवस्था पैदा की और माननीय अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना की और उन्होंने सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए'। देखा जायेगाकि इस विशेषाधिकार प्रस्ताव में कुछ सदस्यों द्वारा लगाए गए नारे और पैदा की गई अव्यवस्था शामिल है, न कि अध्यक्ष का आदेश, जिसकी अवहेलना करते हुए कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर सदन से हटने से इनकार कर दिया। इस पर राव बीरिंदर सिंह ने कह, 'सर, विषय-वस्तु वही है. इसमें पूरा मामला शामिल है. वास्तव में, इसमें पूरा मामला शामिल है, यानी नारे लगाना और आपत्तिजनक व्यवहार जो इस विशेषाधिकार प्रस्ताव का विषय-वस्तु है। इस सवाल पर सदन की विशेषाधिकार समिति विचार करने जा रही है. किसी भी तरह से यह मामला सदन या सदन की किसी समिति के अधीन है और विशेषाधिकार समिति के सदस्य सुश्री प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाले हैं। यदि इसे अब सदन के समक्ष रखा जाता है, तो यह विशेषाधिकार समिति द्वारा मामले पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट देने से पहले इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह होगा। अतः इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखना सदन के विशेषाधिकार के विरुद्ध होगा। अध्यक्ष ने फैसला सुनाया, टी सिर्फ इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। जहां तक मैं इस पक्ष (सरकारी पक्ष) को देखता हूं, उन्होंने दो मुद्दे बनाए हैं। एक तो यह कि कुछ सदस्यों ने, जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं, नारेबाज़ी की और सभापति के आदेशों की भी अवहेलना की। जब सदन में प्रश्न रखा गया तो उस समय वे बैठे नहीं और उचित व्यवस्था बनाए नहीं रखी। दूसरा मुद्दा यह प्रतीत होता है कि कुछ सदस्यों को नामित किया गया था और उन्हें सदन से बाहर जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने सदन नहीं छोड़ा।" तो, यह हैजहाँ तक मैं देख सकता हूँ यह एक अलग मुद्दा है। फिर से अध्यक्ष का निर्णय मांगा गया और उन्होंने फैसला सुनाया, 'मेरा निर्णय यह है कि जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं।' उक्त अवज्ञा उस घटना स संबंधित है जब इस (विपक्षी पक्ष) पक्ष के सदस्यों ने खड़े होकर नारे लगाए, जबकि दूसरा मामला सदस्यों को सदन से बाहर निकालने से संबंधित है। जहां तक मैं समझ सकता हूं, यही अंतर है।' मामला फिर उठा और अध्यक्ष ने फैसला सुनाया। 'इसमें उन्होंने दो मुद्दे निकाले है पहला मुद्दा उस समय का है जब सदस्यों का नाम लिया गया था और उनसे सदन छोड़ने का अनुरोध किया गया था. लेकिन वे अध्यक्ष के आदेशों का पालन करने में विफल रहे। ये एक बात है- दूसरा मामला उस वक्त का है जब चेयर की तरफ से सवाल रखा गया था. तभी कुछ सदस्य उठकर नारेबाजी और नारेबाजी करने लगे। निश्चित रूप से उस समय, यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था 'ऑर्डर करें, ऑर्डर करें', तो, ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं।'

विपक्ष के सदस्य इस प्रश्न को उठाने के लिए अड़े रहे, अध्यक्ष ने अंततः फैसला सुनाया, 'मैंने पहले ही कहा है कि दो अलग-अलग मुद्दे हैं।' एक स्थान पर अध्यक्ष ने कहा, 'क्या आप कृपया अब अपनी सीट ले सकते हैं?' कि चार सदस्यों से सदन छोड़ने का अनुरोध किया गया था और यह बहुत दुखद है कि ऐसा नहीं किया गया। वास्तव में यही हुआ था. यह एक मेटर हैकाशर्म और शर्म की बात है कि सदन की गरिमा और मर्यादा बरकरार नहीं रखी गई।' विधानसभा की 5 फरवरी की आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की गई है, और उसका सही अंग्रेजी अनुवाद भी इसके साथ दाखिल किया गया है। यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव सदन के समक्ष था, स्वीकृत हुआ और बहुमत से पारित हुआ। वैधानिकता पर कोई आपत्ति नहींकाइसलिए, प्रवेश वैध रूप से लिया जा सकता है। मैं कहता हूं कि यहwa3नहींयहां तक कि नियम को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव लाना भी आवश्यक है; मैं प्रस्तुत करता हूं कि सदन के पास हमेशा एक अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह न केवल किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है, बल्कि यदि सदन की गरिमा और मर्यादा के संरक्षण के लिए आवश्यक समझा जाए तो उसे निष्कासित भी कर सकता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि भले ही याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं कियाफिर भी छोड़ोघर। अध्यक्ष के आदेश के बावजूद वे सदन से बाहर नहीं गये। अध्यक्ष ने फलस्वरूप कहा, 'मुझे यह कहते हुए खेद हैसदस्योंनहीं है। अध्यक्ष के आदेश से बाध्य। यह हमारे सदन और इसकी गरिमा और मर्यादा के लिए फिर से बुरा है; के लिए भी बहुत स्वस्थ नहीं हैहमारा लोकतंत्र, और चूंकि एक निश्चित वर्ग से असहयोग हो रहा है इसलिए मैं सदन को कल तक के लिए स्थगित करता हूं"। :यह प्रतीत होता हैवह बीते दिन विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया थानारे औरउस संबंध में एक विशेषाधिकार प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के समक्ष था। इसके मद्देनजर विपक्ष के सदस्यों ने श्री अध्यक्ष को यह समझाने का प्रयास किया कि विशेषाधिकार समिति

के समक्ष जो विषय था वह याचिकाकर्ताओं को सदन की सेवा से निलंबित करने के संबंध में प्रस्ताव के समान था। शेष सत्र. यह पूरी चर्चा और उठाए गए मुद्दे पर श्री अध्यक्ष के बार-बार लिए गए फैसले, जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, नियम 104 के निलंबन के लिए प्रतिवादी द्वारा उनके प्रस्ताव के प्रस्ताव के संबंध में थे। -इस सारी चर्चा के बाद उस प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार कर लिया।

2. मैरीना विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में, जिसे इसके बाद 'कार्य नियम' के रूप में जाना जाता है, नियम 104 में लिखा है- •

> "104. (1) अध्यक्ष व्यवस्था बनाए रखेगा और उसके पास व्यवस्था के सभी बिंदुओं पर अपने निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(2) वह किसी भी सदस्य को, जिसका आचरण, उसकी राय में, घोर अव्यवस्थित है, विधानसभा से तुरंत बाहर जाने का निर्देश दे सकता है और जिस सदस्य को वापस जाने का आदेश दिया गया है, वह तुरंत ऐसा करेगा और दिन की शेष बैठक के दौरान अनुपस्थित रहेगा। यदि किसी सदस्य को सत्र में दूसरी बार वापस जाने का आदेश दिया जाता है, तो अध्यक्ष, सदस्य को बैठक से अनुपस्थित रहने का निर्देश दे सकता हैसत्र के शेष भाग से अधिक किसी भी अवधि के लिए विधानसभा की बैठकें नहीं होंगी और इस प्रकार निर्देशित सदस्य तदनुसार अनुपस्थित रहेगा। ऐसे सदस्य को पंजाब विधान सभा (सदस्यों के भत्ते) अधिनियम, 1942 की धारा 3(2)(ए) के प्रयोजनों के लिए विधानसभा की बैठकों से अनुपस्थित माना जाएगा, लेकिन इन उद्देश्यों के लिए अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 190(4) के अंतर्गत।"

और नियम 121 कहता है-

"121. कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधानसभा के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होने पर किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम निलंबित कर दिया जाएगा। एफ । उतने समय के लिए।"

जब इन नियमों को एक साथ लिया जाता है तो याचिकाकर्ताओं की ओर से जो आपत्ति रही है वह यह है कि नियम 104 के निलंबन के लिए प्रतिवादी 5 का प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी 6 का प्रस्ताव न हो; याचिकाकर्ताओं को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका था, ताकि नियम 104 के आवेदन को प्रतिवादी 6 के उस प्रस्ताव पर निलंबित किया जा सके।

10. 10 फरवरी 1969 को, और दोपहर 2 बजे उनकी सीटों पर एक संशोधित विधायी कार्यक्रम पड़ा हुआ देखकर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। जिस दिन सदन की बैठक हुई, उस दिन किस कार्यक्रम के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1969-70 का बजट पेश किया जाना था और सत्र को 18 फरवरी, 1969 तक बढ़ा दिया गया था। हालाँकि, रिटर्न हलफनामे में प्रतिवादी 2 के पैराग्राफ 24 में कहा गया है कि 7 फरवरी 1969 को 1969-70 के लिए बजट पेश करने की सिफारिश करने वाले राज्यपाल का उस तारीख का एक आदेश प्राप्त हुआ था और कार्य की एक सूची, प्रतिलिपि अनुलग्नक 'आर. उसी तारीख का 2/1', यह दर्शाता है कि वित्त मंत्री 10 फरवरी, 1969 को बजट पेश करेंगे, जारी किया गया था, और डाक द्वारा सदन के सदस्यों को भेजा गया था। प्रतिवादी 2 का दावा है कि उसे उसी दिन सूची प्राप्त हुई थी और कहता है कि अन्य सदस्यों को भी लगभग उसी समय यह प्राप्त हुई होगी, सदन के किसी भी सदस्य ने शपथ पत्र द्वारा यह दावा नहीं किया है कि उसे वह संचार प्राप्त नहीं हुआ था। प्रतिवादी 2 द्वारा आगे बताया गया है कि 8 फरवरी 1969 के ट्रिब्यून में इस संबंध में एक समाचार छपा था।।।10 फरवरी, 1969 को हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया कि संशोधित कार्यक्रम 10 फरवरी, 1969 को सदस्यों की सीटों पर रखा गया था। इस संशोधित कार्यक्रम की एक प्रति संलग्नक में ' याचिकाकर्ताओं की याचिका को बी' बजट 10 फरवरी को लिया जाना था और विनियोग विधेयक 14 फरवरी, 1969 को सदन के सामने आना था। इसके बाद दो दिन की छुट्टी दी गई और 17 और 18 फरवरी, 1969 के शेष दो दिन विधायी कार्यों के लिए आवंटित किए गए। सदन का कार्य. याचिकाकर्ताओं का कहना है

कि 10 फरवरी, 1969 को उनकी सीटों पर संशोधित कार्यक्रम होने के बाद, कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव से सदस्य पूरी तरह से अचंभित रह गए, जो उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि प्रतिवादी 2 "अपने समर्थकों को शामिल नहीं कर रहे थे" वे अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त थे और याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से सदन से निलंबित करने के बाद बजट को अशोभनीय जल्दबाजी में पारित करना चाहते थे और यह भी दिखाया कि

याचिकाकर्ताओं द्वारा गंभीरता से दबाया गया। उस रिटर्न में बताया गया है कि 11 फरवरी, 1969 को सदन की पहली बैठक में बीस विधेयक पारित किए गए और एक को प्रवर समिति को भेजा गया। 11 फरवरी को दूसरी बैठक और 12 फरवरी को दो बैठकें सामान्य के लिए थीं। बजट पर चर्चा और अनुदान की मांगों पर मतदान तथा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969 को नियम 29 के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया। 10 फरवरी को वित्त मंत्री के भाषण से पहले ही पूरा विपक्ष बहिर्गमन कर गया। 1969-70 के बजट की प्रस्तुति. 11 फरवरी को, प्रश्नकाल के बाद, विपक्ष फिर से बहिर्गमन कर गया और उसके बाद शेष सत्र के लिए विधानसभा के विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया। यह इंगित किया गया है कि संपूर्ण विधायी कार्य जिसके लिए अन्यथा दो पूर्ण दिन और दो आधे दिन आवंटित किए गए थे, 11 फरवरी की पहली बैठक में संपन्न हो गया था। कार्यक्रम के अनुसार, उस दिन की दूसरी बैठक सामान्य चर्चा के लिए थी बजट पर जो किया गया. 12 फरवरी को कोई विधायी कार्य नहीं बचा था और इसलिए बजट पर अनुदान की मांगों पर मतदान, अन्यथा 13 फरवरी की पहली और दूसरी बैठक में लिया जान� था, उस दिन पहली बैठक में लिया गया और संपन्न हुआ। उसी दिन दूसरी बैठक में, बजट अनुमान पर विनियोग विधेयक, अन्यथा 14 फरवरी को पेश होने का इरादा था, लिया गया और आगे बढ़ाया गया। इससे विधानसभा का पूरा कामकाज समाप्त हो गया, जिसके लिए सत्र 18 फरवरी, 1969 तक बढ़ा दिया गया था। प्रतिवादी 2 आगे बताते हैं कि इन परिस्थितियों में पूरा कामकाज निर्धारित समय से पहले संपन्न हो गया था क्योंकि कोई विरोध नहीं था।

10. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने 5 फरवरी, 1969 को सत्र के अंत तक सदन की सेवा से अपने निलंबन की वैधता को चुनौती दी है और दावा किया है कि यह अवैध था और वे सदस्य के रूप में सदन को उनके संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोका गया, उसके बाद 1969-70 के विनियोग विधेयक के पारित होने सहित हरियाणा विधान सभा की सभी कार्यवाही अवैध हो गई है। याचिका में दिए गए आधार हैं (ए) कि नियम 104 के उप-नियम (2) के अनुसार, किसी सदस्य को अव्यवस्थित आचरण के लिए तुरंत विधानसभा से बाहर जाने का आदेश देने और उसे निलंबित करने की शक्ति अध्यक्ष महोदय को दी गई है, और इसलिए किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति अध्यक्ष महोदय में निहित है*द्वारा*सदन द्वारा कानून का प्रयोग नहीं किया जा सका; (बी) कि नियम 104 के तहत निलंबन सदन में निलंबन की शक्ति को बहाल नहीं कर सकता है; (सी)

नियम 104 के निलंबन का प्रस्ताव नियम 121 के विपरीत होने के कारण स्वयं अवैध था क्योंकि जब वह प्रस्ताव पेश किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं का निलंबन सदन के समक्ष नहीं था; (डी) वहहरियाणा राज्य विधानमंडल निलंबित करने की शक्ति का दावा नहीं कर सकताएसंविधान के अनुच्छेद 194(3) के तहत सदस्य को दी गई ऐसी शक्ति सदस्यों को दिए गए अधिकारों से असंगत है।द्वाराअनुच्छेद 189 और 194(1) और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संसदीय सरकार की बुनियादी अवधारणाएँ; (ई) भले ही . हरियाणा विधान सभा के पास ऐसी शक्ति है, जिसका प्रयोग वर्तमान मामले में किया गया है*दुर्भावनापूर्ण*और यह शक्ति का दुरुपयोग है/और उस शक्ति के प्रयोग से पहले और बाद की घटनाओं के अनुक्रम के संबंध में बुरा विश्वास है क्योंकि यह चर्चा और मतदान के दौरान सत्तारूढ़ दल के लिए बहुमत सुनिश्चित करने के गुप्त उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 1969-70 के बजट अनुमान एवं विनियोग विधेयक पर; और (एफ) कि याचिकाकर्ताओं को सत्र से निलंबित करना संविधान के साथ धोखाधड़ी हैtion.प्रतिवादी 2 ने अपने रिटर्न हलफनामे में क्या उत्तर दिया?मैदान(ए) श्री अध्यक्ष टिंडर नियम की शक्ति से वह हिस्सा हैसदन के पास संविधान के अनुच्छेद 194(3) के तहत अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अपने सदस्यों को निलंबित करने की कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने की शक्ति है, और यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। स्थापित विशेषाधिकार यदि कोई सदस्य उच्छृंखल आचरण में लिप्त होत� है, अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है, अध्यक्ष के वैध आदेश की अवज्ञा करता है और इस प्रकार सदन की अवमानना करता है; (बी) कि सदन के पास नियम 104 के अलावा अपनी स्वयं की अंतर्निहित शक्ति है, और उस नियम के निलंबन पर किसी भी शक्ति के पुनर्वितरण का कोई सवाल ही नहीं है; (सी) जब नियम 104 के निलंबन के लिए

प्रतिवादी 5 का प्रस्ताव पेश किया गया था तब दोनों प्रस्ताव श्री अध्यक्ष के पास थे और विपक्षी सदस्यों को दूसरे प्रस्ताव के बारे में पता था क्योंकिनिलंबन प्रस्ताव के संदर्भ में और चर्चा के दौरान डेंट 6 के प्रस्ताव के कारण
प्रतिवादी 5 में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी 5 के प्रस्ताव पर विपक्ष के उत्तरदाताओं के सार का संदर्भ; (डी)कि अनुच्छेद 194(3) का क्रियान्वयन संविधान के किसी भी अन्य अनुच्छेद में कही गई किसी भी बात से स्वतंत्र है, जहाँ तक इसका संचालन संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं किया गया है (ई) याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शक्ति सदन द्वारा उन्हें निलंबित करने का प्रयोग किया जाता है*दुर्भावनापूर्ण*और यह सत्ता के दुरुपयोग, बुरे विश्वास या धोखाधड़ी के बराबर है और इसी तरह याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए गुप्त उद्देश्य के आरोप भी निराधार हैं।'बहुमत सुरक्षित करना; और (एफ) कि याचिकाकर्ताओं का निलंबन दंगा संविधान के साथ धोखाधड़ी के बराबर है। उत्तरदाताओं की ओर से कुछ प्रारंभिक आपत्तियां भी देखी जा सकती हैं (ए) कि संविधान का अनुच्छेद 227 याचिकाकर्ताओं के दावों और आरोपों पर भी लागू नहीं होता है क्योंकि हरियाणा विधान सभा इस न्यायालय से कमतर कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण नहीं है, (बी) कि प्रतिवादी 3 और 4, श्रीमान अध्यक्ष और हरियाणा विधान सभा के सचिव, संविधान के अनुच्छेद 212(2) के कारण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदाय नहीं हैं, और (सीजे कि हरियाणा विधान सभा है) सर्वोच्च है और इसके सभी आंतरिक मामलों में विशेष नियंत्रण और क्षेत्राधिकार है और यह अपनी कार्यवाही की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश है, ताकि याचिकाकर्ताओं के निलंबन से संबंधित इसकी कार्यवाही का कोई भी हिस्सा इस न्यायालय में न्यायसंगत न हो। • „

10. पहली दो प्रारंभिक आपत्तियों में उत्तरदाताओं का पक्ष ग़लत है, लेकिन तीसरी आपत्ति इस याचिका में विवाद के गुण-दोष से संबंधित है। अनुच्छेद 227 इस न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण देता है, लेकिन हरियाणा विधान सभा न तो एक न्यायालय है और न ही इस न्यायालय के अधीनस्थ एक न्यायाधिकरण है जिस पर उस अनुच्छेद के अनुसार अधीक्षण का अधिकार क्षेत्र है। सदन की प्रक्रिया या कामकाज के संचालन को विनियमित करने या उसमें व्यवस्था बनाए रखने की अध्यक्ष महोदय की शक्ति अनुच्छेद 212 के खंड (2) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त है। समान या समान छूट अन्य को भी उपलब्ध है किसी राज्य विधानमंडल के अधिकारी, जैसे उसका सचिव। इसलिए अध्यक्ष महोदय और हरियाणा विधान सभा के सचिव इस याचिका में आवश्यक पक्षकार हैं। और नउनके खिलाफ राहत का दावा किया गया है - न ही इस याचिका पर कोई रिटर्न दाखिल किया है। हालाँकि उत्तरदाताओं की ओर से इन दो प्रारंभिक आपत्तियों में दम है, फिर भी इस याचिका में मुख्य विवाद अभी भी विचाराधीन है।
11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एम सी छागला का पहला तर्क यह था कि याचिकाकर्ताओं के संबंध में नियम 104 को निलंबित करने वाला हरियाणा विधान सभा का प्रस्ताव दंगा कानूनी था क्योंकि यह नियम 121 के अनुरूप नहीं था। दोनों नियम पहले ही पुन: प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ऊपर। उन्होंने कहा कि सदन के समक्ष याचिकाकर्ताओं के निलंबन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था जब प्रतिवादी 5 ने नियम 104 के निलंबन के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया।

याचिकाकर्ताओं के निलंबन के संबंध में। जवाब में .की ओर से' दउत्तरदाता, श्री एम.के., नांबियार, विद्वान वकीलउन को,बताया कि नियम 104 के निलंबन के लिए प्रतिवादी के प्रस्ताव 5 में याचिकाकर्ताओं के निलंबन का संदर्भ था जिसके संबंध में उस नियम को निलंबित किया जाना था, और।फिर वहयह दर्शाने के लिए कि उस प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में प्रतिवादी 2 के रिटर्न हलफनामे में दिए गए संक्षिप्त विवरण का उल्लेख किया गया है तथ्य यह है कि विपक्षी सदस्यों को पता था कि प्रतिक्रिया का दूसरा प्रस्तावसेंध 6याचिकाकर्ताओं को सेवा से निलंबित करने के संबंध मेंसदन पहले से ही अध्यक्ष महोदय के पास था, अत: उन्होंने यह तर्क दियादोनों प्रस्ताव साथ थेअध्यक्ष महोदय, प्रतिवादी 5 और 6बना लिया हैसदन की बैठक शुरू होने से पहले इस आशय के हलफनामे, औरउसके सामने थेजब प्रतिवादी 5 ने निलंबन के लिए अपना प्रस्ताव पेश कियानियम 104 का, तो वहाँवास्तव में कोई बड़ा उल्लंघन नहीं थानियम 121 के. वह भीमें उनके आधिपत्य की टिप्पणियों के संदर्भ में बताया गया*एम. एस. एम. शर्मा*बनाम श्री कृष्ण सिंह (1), पृष्ठ 411 पर,अनुच्छेद(29ए), कि जब प्रतिवादी 5 ने नियम 104 के निलंबन के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया और जब वह प्रस्ताव सदन के बहुमत द्वारा पारित किया गया, तो विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। यह उन विचारों में से एक था जो ऊपर उद्धृत मामले में उनके आधिपत्य द्वारा कुछ इसी तरह के तर्कों को खारिज करने में प्रबल था।

10. नियम 121 में, यह प्रावधान है कि सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होने पर किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है, और यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि इस नियम का कड़ाई से और शाब्दिक अनुपालन नहीं किया गया था, जहां तक कि याचिकाकर्ताओं को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव प्रतिवादी 6 द्वारा पेश नहीं किया गया था, जब नियम 104 के निलंबन के लिए प्रतिवादी 5 का प्रस्ताव सदन के सामने आया था। कीमत के एवज में। हालाँकि, मामले का तथ्य यह है कि दोनों प्रस्ताव उत्तरदाताओं 5 और 6 द्वारा सदन की बैठक शुरू होने से पहले विशेष तिथि पर दोपहर के आसपास श्री अध्यक्ष को दिए गए थे। इसलिए दोनों प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के पास थे जब प्रतिवादी 5 ने नियम 104 के निलंबन के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया। श्री अध्यक्ष द्वारा दिया गया तथ्यात्मक बयान निर्विवाद है कि नियम 104 के निलंबन के लिए प्रतिवादी 5 के प्रस्ताव में इस उद्देश्य का संदर्भ था जो नियम 104 निलंबित किया जाना था वह याचिकाकर्ताओं के निलंबन के संबंध में है और उस प्रस्ताव पर चर्चा में वास्तव में विपक्ष के सदस्यजय सिंह राठी आदि मौजूद रहे। हरियाणा राज्य, आदि (मेहर सिंह, सी.जे.)याचिकाकर्ताओं के निलंबन के प्रश्न का उल्लेख किया गया, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष महोदय पर प्रस्ताव को अनुमति न देने का दबाव डाला क्योंकि विषय-वस्तु पहले से ही विशेषाधिकार समिति के समक्ष थी। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी, सदन के समक्ष याचिकाकर्ताओं के निलंबन का कोई प्रस्ताव तब भी नहीं था जब प्रतिवादी 5 ने याचिकाकर्ताओं के निलंबन के लिए अपने आवेदन में नियम 104 के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया था और सख्ती से और वस्तुतः नियम 121 का अनुपालन नहीं किया गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि यह सदन की कार्यवाही में केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता से अधिक कुछ नहीं है, और इस संबंध में उन कार्यवाहियों की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 212 के खंड (1) का। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क कि नियम 104 के निलंबन के लिए प्रतिवादी 5 के प्रस्ताव का कदम और सदन द्वारा उस आशय के प्रस्ताव को पारित करना अवैधता है, मान्य नहीं है। यह सदन की कार्यवाही में प्रक्रिया की अनियमितता से अधिक कुछ नहीं है।
10. श्री चागला ने अगली दलील दी कि भले ही नियम 104 का निलंबन अच्छा था या प्रक्रिया की अनियमितता मात्र थी, इस न्यायालय में अनुच्छेद 212(1) के मद्देनजर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, नियम 104 को निलंबित कर दिया गया है, फिर भी कोई शक्ति नहीं बची है सदन में और इन परिस्थितियों में, किसी को भी याचिकाकर्ताओं को सदन की सेवा से निलंबित करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा कि सदन के किसी सदस्य को निलंबित करने के विशेषाधिकार का प्रयोग अध्यक्ष महोदय को नियम 104 के अनुसार करना होता है और चूंकि निलंबन के कारण यह प्रभावी नहीं है, इसलिए सदन याचिकाकर्ताओं को निलंबित नहीं कर सकता और न ही सदन का गठन कर सकता है। ऐसी स्थिति जिसमें यह नियम 104 से हट सकता है। उन्होंने मई के संसदीय अभ्यास, सत्रहवें संस्करण में पृष्ठ 104 पर इस अंश का उल्लेख किया, - "सदन की सेवा से निलंबन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा लागू करने की अपनी शक्ति के तहत नियोजित एक सजा थी।" इसके सदस्यों के बीच अनुशासन, विशेष अपराधों के लिए स्थायी आदेश द्वारा निर्धारित होने से बहुत पहले, जैसे कि अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना, या बाधा, और इसे अभी भी सदन के विवेक पर लगाया जा सकता है, हालांकि, निश्चित रूप से, इसके तहत नहीं। उस स्थायी आदेश द्वारा अधिकृत सारांश प्रक्रिया", और फिर पृष्ठ 468 पर इस अनुच्छेद पर-"28 फरवरी, 1880 को एक स्थायी आदेश पारित किया गया, और 22 नवंबर, 1882 को संशोधित किया गया; इसमें प्रावधान है कि जब किसी सदस्य का नाम घोर अव्यवस्थित आचरण, अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर या अन्यथा सदन के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए नामित किया जाता है, तो एक प्रस्ताव दिया जा सकता है।

सदन के निर्धारणों में वोट देने के उनके अधिकार का याचिकाकर्ता अनुच्छेद 189 के उप-अनुच्छेद (1) का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) का संदर्भ देते हुए, जो प्रदान करता है कि "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन और विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता होगी", उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सदन में भाग लेने और सदन की सेवा से रोकने से इनकार किया गया था। उन्हें सदन में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद 9(1) का उल्लंघन था। यह सदन की कार्यवाही में प्रक्रिया की अनियमितता मात्र नहीं थी, जैसा कि उप-अनुच्छेद में बताया गया है।

1. अनुच्छेद 212 लेकिन एक अवैधता जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट किए गए मामले में अपने आधिपत्य की टिप्पणियों पर भरोसा किया*के विशेष सन्दर्भ क्रमांक 1 के प्रकरण में* 1964 *अनुच्छेद के अंतर्गत* 143 *संविधान का,* (2), पृष्ठ 767 और 768 पर, - “इसी प्रकार, अनुच्छेद 212(1) एक प्रावधान करता है जो प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 212(2) विधानमंडल के उन अधिकारियों और सदस्यों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिन्हें विधानमंडल में प्रक्रिया या व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने, या व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से शक्तियां निहित हैं। उनके द्वारा उन शक्तियों के प्रयोग के संबंध में न्यायालय। अनुच्छेद 212(1) किसी नागरिक के लिए विधान मंडल के अंदर किसी भी कार्यवाही की वैधता पर उचित अदालत में सवाल उठाना संभव बनाता है यदि उसका मामला यह है कि उक्त कार्यवाही केवल प्रक्रिया की अनियमितता से ग्रस्त नहीं है, बल्कि एक अवैधता. यदि आक्षेपित प्रक्रिया है; अवैध और असंवैधानिक, इसकी अदालत में जांच की जा सकती है, हालांकि ऐसी जांच निषिद्ध है यदि प्रक्रिया के खिलाफ शिकायत इससे अधिक नहीं है कि प्रक्रिया अनियमित थी। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं को सदन में बोलने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है और यह उस अधिकार से इनकार है जब उन्हें सदन में उपस्थित होने से जबरन बाहर किए जाने के कारण इसका प्रयोग करने से रोका गया था। यह हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही में अवैधता थी, महज़ अनियमितता नहीं। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात स्वीकार की गई तो न केवल सदन के एक सदस्य को निलंबित किया जा सकता है, बल्कि पूरे विपक्ष को निलंबित किया जा सकता है।इसे मिटाया जा सकता है, जिससे संविधान का मूल उद्देश्य और लोकतंत्र की अवधारणा ही विफल हो जाएगी। इस संबंध में उन्होंने जो दूसरी बात कही वह यह थी कि 4 फरवरी क जो हुआ वह समाप्त हो गया और 4 फरवरी को सत्र के अंत में सदन की कार्यवाही स्थगित कर अध्याय बंद कर दिया गया और फरवरी को कुछ भी नहीं हुआ। , 5, 1969, जिसने सदन को याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने के लिए आमंत्रित किया ताकि उन्हें सदन की सेवा से बाहर कर दिया जा सके, जिससे उन्हें सदन में निर्णयों के संबंध में वोट देने के उनके अधिकार और सदन में बोलने की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। उसी में बहस. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर, उत्तरदाताओं की ओर से श्री नांबियार का जवाब था कि राज्य विधानमंडल की अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रावधानों के अधीन बनाया गया है। संविधान अनुच्छेद 208 के उप-अनुच्छेद (1) के अनुसार है। इसलिए, यह राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (3) के अधीन है। इसलिए हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अनुच्छेद 194(3) द्वारा प्रदत्त हरियाणा विधान सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को निरस्त करने का प्रभाव नहीं है, न ही ये नियम उन शक्तियों से अलग हो सकते हैं। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हरियाणा विधान सभा की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं वही हैं जो 1950 में संविधान लागू होने की तिथि पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास थीं। उनका तर्क था कि नियम 104 के बावजूद, हरियाणा विधान सभा ने सभापति की अवज्ञा करने और सदन में अव्यवस्था फैलाने के आचरण के कारण सदन की अवमानना के लिए सदन के एक अड़ियल सदस्य को दंडित करने की शक्ति और विशेषाधिकार बरकरार रखे हैं। उन्होंने मई के संसदीय अभ्यास में इन बयानों का उल्लेख किया - "विशेषाधिकार का विशिष्ट चिह्न इसका सहायक चरित्र है। संसद के विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो 'उसकी शक्तियों के उचित निष्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक' हैं। उनका आनंद लिया जाता है* ** * * * * * प्रत्येक सदन द्वारा अपने सदस्यों की सुरक्षा और अपने अधिकार और गरिम की पुष्टि के लिए", (पृष्ठ 42); “ऐसी शक्तियाँ प्रत्येक विधायिका के अधिकार के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार एक विधायी निकाय के कार्य, विशेषाधिकार और अनुशासनात्मक शक्तियाँ निकटता से जुड़ी हुई हैं। विशेषाधिकार कार्यों के आवश्यक पूरक हैं, और विशेषाधिकारों की अनुशासनात्मक शक्तियाँ हैं” (पृष्ठ 43); “अनुच्छेद 9

अधिकारों का विधेयक* * * * * निर्धारित करता है

कि 'संसद में भाषण और बहस या कार्यवाही की स्वतंत्रता पर संसद के बाहर किसी भी अदालत या स्थान पर महाभियोग या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए' (पृष्ठ 59); “इस अनुच्छेद मे निहित कानून के विवरण में तीन प्रमुख मामले शामिल हैं: -

1. प्रत्येक सदन को अपनी कार्यवाही की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश होने का अधिकार;
2. संसद में अपने आचरण के लिए अपने ही सदस्यों को दंडित करने का अधिकार निहित है;

इसके अलावा, सवाल यह भी है,

1(3) संसद में कार्यवाही' शब्द का सटीक अर्थ क्या है? (पृष्ठ 60);

और "ऐसा लगता है कि स्पीकर ने अपनी याचिका में कॉमन्स से किसी भी सदस्य को दंडित करने का अधिकार मांगा है, जो अपने आचरण से सदन को अपमानित कर सकता है। यह विशेषाधिकार अब आंशिक रूप से एस.ओ. के नंबर 23, नंबर 24 और नंबर 25 में सन्निहित है, जो अनुशासन लागू करने के लिए एक सारांश प्रक्रिया निर्धारित करता है लेकिन इसके अस्तित्व के लिए उन पर निर्भर नहीं है" (पृष्ठ 61 और 62)। उन्होंने इन उद्धरणों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि यद्यपि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के स्थायी आदेश संख्या 24 में अध्यक्ष की अवज्ञा और अव्यवस्थित आचरण के लिए एक सदस्य के निलंबन के प्रश्न से संबंधित है, लेकिन शक्ति उस स्थायी आदेश पर निर्भर नहीं है और इससे स्वतंत्र है, और इसके अलावा सदन अपनी अवमानना के लिए किसी सदस्य को दंडित करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसे किसी भी स्थायी आदेश से हट सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि यह किसी राज्य में विधानमंडल के सदन के विशेषाधिकारों में से एक है कि वह किसी सदस्य को सभापति की अवज्ञा और सदन में उच्छृंखल आचरण की प्रकृति की अवमानना के लिए निलंबित करके दंडित कर सकता है और भरोसा करते हुए अपनी कार्यवाही को विनियमित कर सकता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य की टिप्पणियों पर *एम. एस. एम. शर्मा का मामला,*पृष्ठ 403, अनुच्छेद 18, और पर *विशेष संदर्भ संख्या के मामले में* 1 *का* 1964, पृष्ठ 771, अनुच्छेद 74 पर। उन्होंने इस संबंध में भी उल्लेख किया यशवंत राव मेघवाले *बनाम मध्य प्रदेश विधान सभा,* (3), पृष्ठ 103, पैराग्राफ 25 पर, कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों और विशेषाधिकारों में से एक सदस्य को उच्छृंखल आचरण के लिए निष्कासित करना है, भले ही बनाए गए नियमों में इस आशय का कोई नियम न हो अनुच्छेद 208(1) के तहत। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि नियम 104 को निलंबित करने से हरियाणा विधानसभा को किसी भी तरह से अपना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। किसी सदस्य को सभापति की अवज्ञा करने और उसे अस्वीकार करने तथा सदन में उसके अव्यवस्थित आचरण के लिए अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का विशेषाधिकार और शक्ति। श्री नांबियार ने कहा, इस संबंध में शक्ति और विशेषाधिकार, नियम 104 के बावजूद मौजूद हैं, और नियम 104 के निलंबन पर सदन में ऐसी किसी भी शक्ति या विशेषाधिकार को वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे आचरण के लिए किसी सदस्य के निलंबन के मामले में किसी भी स्थायी आदेश या नियम पर निर्भर नहीं है, जैसा कि मई के संसदीय अभ्यास के पृष्ठ 60 से 62 पर दिखाया गया है। संविधान के लागू होने की तिथि पर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पास स्थायी आदेश संख्या 24 के बावजूद, किसी सदस्य को अध्यक्ष की अवज्ञा या अव्यवस्थित आचरण के कारण अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति और विशेषाधिकार था। और श्री नांबियार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 194(3) के मद्देनजर हरियाणा विधान सभा में भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। उन्होंने कहा, सदन अपनी कार्यवाही और इसमें क्या चल रहा है, इसका पूर्ण स्वामी है, और केवल इसलिए कि उसने नियम 104 द्वारा अपने सदस्य को निलंबित करने की शक्ति श्रीमान अध्यक्ष को दे दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि सदन ने हमेशा के लिए शक्ति खो दी है। अनुच्छेद 189(1) के संबंध में उनका तर्क था कि उसमें उल्लिखित अधिकार संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है और इसलिए सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 194(3) के अधीन है। उन्होंने बताया कि वास्तव में याचिकाकर्ताओं के निलंबन से हरियाणा विधानसभा में कोई रिक्ति नहीं हुई है, जो केवल परिस्थितियों में, सत्र के अंत तक अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर थे। उन्होंने बताया कि विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि अनुच्छेद 194(1) में संदर्भित है, विधानमंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 208(1) क तहत बनाया गया है। जो बदले में फिर से संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं, इसलिए नियम अनुच्छेद 194(3) के अधीन होने चाहिए। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का सदन में मतदान के अधिकार और उसमें बोलने की स्वतंत्रता का दावा अनुच्छेद 194(3) के अधीन है। उन्होंने उल्लेख किय *विशेष संदर्भ संख्या के मामले में* 1 *का* 1964, पृष्ठ 762, अनुच्छेद 38, उनके आधिपत्य के अवलोकन के संबंध में कि संविधान का अनुच्छेद 194(3) शक्तियों का एकमात्र आधार है, और कोई भी शक्ति जो इसमें शामिल नहीं है, विधानमंडल के सदन द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है . उन्होंने बताया कि जबकि अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) को 'इस संविधान के प्रावधानों के अधीन' बनाया गया है, जहां तक उस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (3) का संबंध है, ऐसा नहीं है, इसलिए विधानमंडल के किसी सदन को दी गई शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 189(1) में अनियंत्रित हैं और 194(1). इस संबंध में उन्होंने संदर्भ दिया *रानी*में। *रिचर्ड्स,* (4), जिसमें विद्वान न्यायाधीशों ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रावधानों, धारा 49, जो अनुच्छेद 194(3) से मेल खाती है, और धारा 50,

जो अनुच्छेद 208(1) से मेल खाती है, पर विचार किया और पृष्ठ 169 पर देखा, - - "धारा 50 के मूल शब्द यह हैं कि प्रत्येक सदन उस तरीके के संबंध में नियम और आदेश बना सकता है जिसमें उसकी शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह तर्क एक से अधिक तरीकों से कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि वारंट जारी करना और इसे निर्णायक स्वरूप देना धारा 49 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने का एक तरीका मात्र है और इसलिए धारा 50 के अंतर्गत आता है। इसे बहुत व्यापक टीवीए में भी कहा जा सकता है, अर्थात्, इसका प्रभाव यह है कि धारा 49 के तहत शक्तियाँ सदनों पर धारा 50 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने और उस तरीके के संबंध में नियम और आदेश बनाने पर निर्भर हैं जिसके द्वारा शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि सदन ने इस विवरण के मामले के संबंध में ऐसे नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि धारा 49 के तहत शक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, हमारी राय में यह तर्क निराधार है। धारा 50 एक मात्र शक्ति है. यह स्पष्ट है कि धारा 49 का संचालन धारा 50 की शक्ति के प्रयोग से स्वतंत्र है। यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 50 का संचालन अनुमेय या सक्षम करने वाला है और धारा 49 अपने साथ सदन की पूर्ण शक्तियाँ रखती है। कॉमन्स, जिसमें वह शक्ति भी शामिल है जो अब सवालों के घेरे में है, भले ही धारा 50 के तहत कुछ भी नहीं किया गया है।" इस प्रकार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अनुच्छेद 194(3) में गारंटी के अनुसार विधानमंडल के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं, किसी भी तरह से, अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) या अनुच्छेद 189 के अधीन नहीं हैं, और, यदि कुछ भी हो, उन दो प्रावधानों को अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (3) के अधीन माना जाना चाहिए। इस तरह से हरियाणा विधान सभा की शक्तियां और विशेषाधिकार नियम 104 या उस मामले सहित व्यावसायिक नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। उसका निलंबन. अनुच्छेद 194(1) और याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के मामले पर, श्री नांबियार ने आगे बताया कि उस उप-अनुच्छेद में अधिकार स्पष्ट रूप से प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन है।

4. (1954) 92 राष्ट्रमंडल कानून रिपोर्ट 157।

विधायिका। बिजनेस रूल्स के नियम 97 (ii) और (ix) में कहा गया है- "'जब विधानसभा बैठ रही हो, एक सदस्य - (ii) अव्यवस्थित अभिव्यक्ति या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी भी सदस्य को बाधित नहीं करेगा; (ix)) कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा, फुसफुसाहट या रुकावट नहीं करेगा और जब विधानसभा में भाषण दिया जा रहा हो तो चल रही टिप्पणियाँ नहीं करेगा"; तब नियम 99(2) कहता है- "जो सदस्य बोलना चाहता है उसे अपनी जगह से बोलना होगा, जब वह उठेगा बोलता है और अध्यक्ष को संबोधित करेगा। किसी भी समय यदि अध्यक्ष उठता है तो बोलने वाला कोई भी सदस्य अपन सीट पर बैठ जाएगा;" और फिर नियम 100(2)(vii)फाइब थुर कहते हैं-"कोई सदस्य बोलते समय अपने बोलने के अधिकार का उपयोग कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से नहीं करेगा

विधानसभा का।" श्री नांबियार ने बिल्कुल सही कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सदन में बोलने की स्वतंत्रता के किसी भी अधिकार का दावा उपरोक्त नियमों के अधीन किया गया है और इसलिए उनके द्वारा दावा किया गया अधिकार अप्रतिबंधित और अयोग्य नहीं है।'

17. अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (3) द्वारा दी गई और गारंटीकृत राज्य विधानमंडल की शक्तियां और विशेषाधिकार 1950 में संविधान के लागू होने की तिथि पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समान होंगे। उप-अनुच्छेद के विपरीत (1) अनुच्छेद 194 का, उपअनुच्छेद (3) संविधान के प्रावधानों के अधीन नहीं है। अब तक दी गई शक्तियाँ और विशेषाधिकार पूर्ण हैं और इन्हें अनुच्छेद 208(1) के तहत बनाए गए किसी भी नियम द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मई की संसदीय प्रथा, पृष्ठ 60 से यह दर्शाया गया है कि सदन को विधानमंडल में अपने आचरण के लिए अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है, और, पृष्ठ 62 पर, स्थायी आदेश या नियम के बावजूद ऐसा विशेषाधिकार है यह अपने अस्तित्व के लिए उसी पर निर्भर नहीं है। लेखक द्वारा पृष्ठ 469 पर बताया गया है कि 'सदस्यों ने एस.ओ. के अनुसरण में' सदन से हटने का आदेश दिया।" संख्या 23 या एस.ओ. के अनुसरण में सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाए। नंबर 24 को तुरंत सदन के परिसर से हट जाना चाहिए। एस.ओ. के अनुसरण में नहीं किए गए एक प्रस्ताव पर एक सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित कर दिया गया। संख्या 24 को सदन की सीमा से बाहर नहीं रखा गया है जब तक कि उसके निलंबन का आदेश स्पष्ट रूप से ऐसा प्रदान नहीं करता है।' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदन की सेवा से निलंबन को व्यापारी स्थायी आदेश, संख्या बनाया जा सकता है। 24

या उस स्थायी आदेश से अन्यथा, और दोनों ही मामलों में प्रभाव अलग होता है, क्योंकि जब यह स्थायी आदेश संख्या 24 के तहत किया जाता है, तो संबंधित सदस्य को सदन के परिसर से हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जब यह उस प्रस्ताव पर बनाया गया है जो उस स्थायी आदेश के अनुरूप नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस स्थायी आदेश के बावजूद हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अवज्ञा करने और सदन में अव्यवस्थित आचरण के लिए अपनी अवमानना के लिए सजा के तौर पर किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति और विशेषाधिकार बरकरार है: तो इस पर तर्क याचिकाकर्ताओं का यह पक्ष कि नियम 104 बनाकर हरियाणा विधान सभा ने अपने किसी सदस्य को उसके उच्छृंखल आचरण या अध्यक्ष की अवज्ञा के कारण उसकी अवमानना के लिए दंड के रूप में निलंबित करने की शक्ति हमेशा के लिए खो दी है, अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया दृष्टिकोण सही नहीं हो सकता क्योंकि जब तक हरियाणा विधान सभा के पास ऊपर बताई गई परिस्थितियों में अपने किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं होती, वह अपने अध्यक्ष को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं कर सकती, और। इसने उसे नियम 104 के रूप में वह शक्ति प्रदान की है, एक बार जब वह उस नियम को निलंबित कर देता है, तो वह उस शक्ति को अपने पास बरकरार रखता है क्योंकि यह इस संबंध में निहित है। एक तर्क अस्वीकार्य है कि हालाँकि उसके पास यह शक्ति थी जो उसने अपने अध्यक्ष को नियम 104 के तहत प्रदान की थी, लेकिन उस नियम को बनाने से उसने वह शक्ति हमेशा के लिए खो दी और नियम बनने के बाद उस शक्ति का प्रयोग केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा ही किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल भी। नियम 104 व्यावसायिक नियम□□ में से एक है, और नियम 121 में सदन द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को निलंबित करने का प्रावधान है। व्यावसायिक नियमों या संविधान के किसी भी प्रावधान में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है जो इस तर्क को उचित ठहराता हो कि नियम 104 बनाकर हरियाणा विधान सभा ने अपनी अवमानना के लिए अपने सदस्य को दंडित करने की अपनी शक्ति और विशेषाधिकार खो दिया है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह तर्क मान्य नहीं है। अनुच्छेद 189 का उप-अनुच्छेद (1) किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष प्रश्नों के निर्धारण में एक सदस्य को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 194 के तहत अपनी शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी सदस्य को सदन से निलंबित कर दिया जाता है। 3) सदन में कोई रिक्ति उस अर्थ में नहीं पैदा कर रहा है जिस अर्थ में इसका उपयोग अनुच्छेद 189 के शेष उप-अनुच्छेदों और अनुच्छेद 190 में किया जाता है। निलंबन विधानमंडल के सदन में रिक्ति का कारण नहीं बनता है, और यह केवल अनुपस्थिति को लागू करता है सदन की अवमानना के लिए सजा के तौर पर सदन की सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में, किसी सदस्य की अवज्ञा और सभापति की अवज्ञा के कारण और अव्यवस्थित आचरण के लिए किया जा सकता है। जब ऐसी अनुपस्थिति को सदन द्वारा अनुच्छेद 194(3) के तहत अपनी शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है तो वोट का अधिकार नहीं छीना जाता है।सदस्य लेकिन उसे केवल उसी स्थिति में रखा जाता है जैसे कि वह सदन में मौजूद नहीं था। सदन में उपस्थित सदस्य को वोट देने के अधिकार की गारंटी दी जाती है। जहां तक अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) में उल्लिखित सदन में बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का सवाल है, उसी उप-अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा अधिकार न केवल प्रावधानों के अधीन है। संविधान के साथ-साथ विधानमंडल के सदन के कार्य नियमों में भी, यह पहले ही बताया जा चुका है कि हरियाणा विधान सभा के कार्य नियमों में एक सदस्य को अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करने और सदन में व्यवस्थित तरीके से आचरण करने की आवश्यकता होती है। नियमों के अलावा, हरियाणा विधान सभा की उस शक्ति में भी रुचि है जो अपने सदस्यों को उनके अव्यवस्थित आचरण या अवज्ञा और अध्यक्ष की अवज्ञा के कारण अपनी अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अपने स्वयं के कामकाज के लिए आवश्यक है। इसलिए अनुच्छेद 194 के उप-अनुच्छेद (1) के अनुसार सदन में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार अप्रतिबंधित और अनियंत्रित नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का निलंबन अवैध नहीं था और इसलिए 5 फरवरी, 1969 को सदन की कार्यवाही के संबंध में इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अनुच्छेद 212(1) द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है। नतीजतन याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती.

17. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तीसरा तर्क यह था कि 5 फरवरी, 1969 के बाद वर्ष 1969-70 के लिए विनियोग विधेयक पारित होने की तारीख तक हरियाणा विधानसभा की पूरी कार्यवाही को भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। अवैध और असंवैधानिक, लेकिन उपयुक्त तर्क का आधार याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतिम तर्क था। विद्वान वकील द्वारा

यह आग्रह किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं का निलंबन अवैध था और संविधान के अनुसार नहीं था, इसलिए सदन की सभी कार्यवाही के बाद, याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 189 के अनुसार जबरन वोट के अधिकार का प्रयोग करने से रोका गया। 1) और उनके निलंबन के कारण अनुच्छेद 194(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अवैध था और संविधान के उन प्रावधानों के विपरीत था। इसलिए 5 फरवरी, 1969 के बाद हरियाणा विधान सभा द्वारा किए गए सभी कार्य और लिए गए प्रत्येक निर्णय, या कार्यवाही या विधेयक पारित किए गए थे।अवैध और असंवैधानिक. जैसा कि कहा गया है, यह तुरंत स्पष्ट है कि यह केवल तभी विचार के लिए आ सकता है यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से दूसरा तर्क, जैसा कि ऊपर दिया गया है, प्रबल हुआ हो, लेकिन वह तर्क स्वीकार नहीं किया गया हो, यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से हैस्वीकार भी नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं के निलंबन में कुछ भी अवैध या असंवैधानिक नहीं थ और इसलिए जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया था, परिणाम का पालन नहीं होता है। .

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री चागला द्वारा आग्रह किया गया अंतिम तर्क यह था कि याचिकाकर्ताओं का निलंबन किया गया था*वह थी*निष्ठा, एक तर्क जो कम से कम मेरे लिए समझ में नही आया है। यदि, जैसा कि हरियाणा विधान सभा की शक्ति और विशेषाधिकार के रूप में पाया गया है, सदन ने ऐसी शक्ति और विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ताओं को कानूनी और संवैधानिक तरीके से सदन की सेवा से निलंबित कर दिया, तो सदन का वोट कैसे हो सकता है के रूप म वर्णित किया जाए*दुर्भावनापूर्ण*? सदन में वोट के पीछे किसी मकसद को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मेरी राय में विधानमंडल के सदन में मतदान कदापि नहीं कहा जा सकता*दुर्भावनापूर्ण*. यदि सदन अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार करता है, तो उसकी कार्रवाई पर असंवैधानिकता के आधार पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे इस रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।*दुर्भावनापूर्ण*. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक साज़िश थी, दलबदल और दोबारा दलबदल हो रहे थे, और हरियाणा के राजनीतिक कैनवास पर अनिश्चितता व्याप्त थी, और इसलिए यह उनकी पार्टी के बहुमत को सुनिश्चित करने के लिए था। प्रतिवादी, प्रतिवादी 2 ने याचिकाकर्ताओं का निलंबन प्राप्त करने के लिए चाल चली। यह निर्विवाद तथ्यों की अनदेखी करता है। सदन में ध्वनिमत से पारित राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष में सरकार को मतविभाजन की चुनौती देने का साहस नहीं था; नियम 104 के निलंबन के प्रस्ताव पर विपक्ष नौ मतों से हार गया; और याचिकाकर्ताओं के वास्तविक निलंबन के प्रस्ताव पर यह नौ वोटों के अंतर से फिर से हार गया; और पूरे समय याचिकाकर्ता विपक्ष में मतदान कर रहे थे। - इसके बाद विपक्ष के पास सदन में रहने और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में सदन में अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का योगदान देने का साहस नहीं था, क्योंकि वह सदन से बाहर चला गया। सदन, कार्यवाही में कभी भाग नहीं लेना। जब प्रश्न सदन के समक्ष मतदान के लिए आया तो किसी भी स्तर पर प्रतिवादी 2 की सरकार के पराजित होने की न्यूनतम संभावना नहीं थी। जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से अप्रासंगिक मामला है और, जैसा कि मैंने कहा है, यह खेदजनक है कि ऐसे मामलों को याचिकाकर्ताओं के कथनों और आरोपों के हिस्से के रूप में लाया गया था। उनकी याचिका. इसलिए तथ्यात्मक रूप से आरोप का कोई आधार नहीं है*वह थी*जहां तक उत्तरदाताओं में से कोई भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में हैशुष्क विशेष रूप से प्रतिवादी 2 चिंतित है। यह एक ऐसा आरोप है जो बेहद लापरवाह तरीके से लगाया गया है और वास्तव में इसके समर्थन में किसी सुझाव की छाया भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए.

17. श्री नांबियार ने बताया कि अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 4 और 5 फरवरी, 1969 को अपने आचरण के अपने हिस्से क पूरी तरह से दबा दिया है, जिसमें उन्होंने लगातार अध्यक्ष की अवज्ञा की और अवहेलना की और उनका आचरण कम से कम सही नहीं था। , सदन में व्यवस्थित. उन्होंने इस तथ्य को भी छुपाया कि बजट पेश होने के बाद बजट अनुमानों की स्वीकृति, धन अनुदान और विनियोग विधेयक के पारित होने के संबंध में विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया और सदन की कार्यवाही में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने विस्काउंट रीडिंग, सी.जे. के इस अवलोकन का उल्लेख किया*रेक्स*में।*केंसिंग्टन आयकर आयुक्त* (5), पृष्ठ 495 पर, - "कहाँ एक *पक्षपातवाला*एक नियम के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया गया है*कुछ*या अन्य प्रक्रिया, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदन के समर्थन में हलफनामा स्पष्ट नहीं था और उसने तथ्यों को निष्पक्ष रूप से नहीं बताया, बल्कि उन्हें इस तरह से बताया कि सही तथ्यों के बारे में न्यायालय को गुमराह किया जा सके, तो न्यायालय अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, योग्यता की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना चाहिए। यह न्यायालय में निहित

एक शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जो न्यायालय के मन में यह विश्वास दिलाते हैं कि उसे धोख दिया गया है। इस विचार पर भी, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 226 का संबंध है, याचिकाकर्ता अपने पक्ष में इस न्यायालय के विवेक का प्रयोग करने के हकदार नहीं हैं।

18. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं की यह याचिका लागत सहित खारिज की जाती है, वकील का शुल्क रु. 500. • •

न्यायमूर्ति हरबंस सिंह -मैं सहमत हूं

न्यायमूर्ति डी. के महाजन -मैं सहमत हूं।

आर. एन. एम।

5) (1917) 1 के.बी. 486.

अस्वीकरण : **स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, हरियाणा